

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./एडी/अजिनि संवि./41/2008/ 176

भोपाल, दिनांक 18/9/08


:: आदेश ::

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका के कालम-3 तथा तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती संतोष वैष्णव अध्यापक (कला) शा. हाईस्कूल बासिन्द्रा जिला-रतलाम	जिला पंचायत रतलाम जिला-रतलाम जा.क्र. 6784, दि.30.08.08	नगर पालिका निगम इन्दौर जिला-इन्दौर जा.क्र. 962-जीए, दिनांक 08.09.08 शा. हाईस्कूल अत्रीदेवी सुदामानगर

संविलियन की शर्तें -

- यह अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों।
- तालिका के कालम-4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को कार्यमुक्त न किया जाए।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
- संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
- अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
- शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे।




निरन्तर 2

2

9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाई में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”



18/9/08
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18/9/08

पृष्ठा. क्र०/शि.क./एडी/अजिनि संवि./58/2008/177
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम इन्दौर, जिला-इन्दौर मध्यप्रदेश ।
4. कलेक्टर, जिला-इन्दौर एवं रतलाम मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, इन्दौर एवं रतलाम मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि उक्तानुसार पुष्टि के उपरान्त ही कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाई की जाये ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, इन्दौर एवं रतलाम मध्यप्रदेश ।
की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाई हेतु ।
7. श्रीमती संतोष वैष्णव, अध्यापक, शा. हाईस्कूल बासिन्द्रा, जिला-रतलाम मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।


18/9/08
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

30

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./एडी/अध्या.संवर्ग/संवि./48/2008/ 170

भोपाल, दिनांक 16/9/08

:: आदेश ::

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-3 तथा तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


स.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम
1	2	3	4
1	कु. तहमीना बेगम सहायक अध्यापक शा. बा.प्रावि मेहदवानी जिला-डिण्डोरी	जनपद पंचायत मेहदवानी जिला-डिण्डोरी जा.क्र. 1191, दि. 30.08.08	जनपद पंचायत जबलपुर जिला-जबलपुर जा.क्र. 2573, दि.05.09.08 शा. प्रावि जमतारा/सिलुआ एवं गाडरखेडा
2	श्रीमती अनुराधा सक्सेना अध्यापक शा. मावि बापचा विक्रम जिला-गुना	जिला पंचायत गुना जिला- गुना जा.क्र. 2370, दि. 13.08.08	जिला पंचायत राजगढ जिला- राजगढ जा.क्र. 2376 दि. 29.07.08 शा मावि सुठालिया
3	श्रीमती करुणा मालवीय सहायक अध्यापक शा. प्रावि घूडीया जिला-देवास	जनपद पंचायत कन्नौद जिला-देवास जा.क्र. 976, दि. 22.05.08	जनपद पंचायत टिमरनी जिला- हरदा जा.क्र. 1757 दि. 17.06.08 शा प्रावि सौताडा/नौसर एवं धोलपुरकला
4	श्री विमलकिशोर साहू (विकलांग) सहायक अध्यापक शा. मावि गोदाना जिला-कटनी	जनपद पंचायत रीठी जिला-कटनी जा.क्र. 167, दि. 29.06.08	जनपद पंचायत होशंगाबाद जिला-होशंगाबाद जा.क्र. निरंक दि. 20.06.08 शा. प्रावि केसलाखुर्द
5	श्रीमती ज्योति तिवारी अध्यापक शा. मावि निम्बोदा जिला-उज्जैन	जिला पंचायत उज्जैन जिला- उज्जैन जा.क्र. 5477, दि. 26.07.08	जिला पंचायत इंदौर जिला-इंदौर जा.क्र. 6377 दि. 01.08.08 शा हाईस्कूल बडीकलमेर
6	श्रीमती नीति मीना अध्यापक शा. मावि गुलोन जिला-होशंगाबाद	जनपद पंचायत बावई जिला-होशंगाबाद जा.क्र. 482, दि. 16.07.08	नगर पालिका परिषद् बड़वाह जिला-खरगौन जा.क्र. 672 दि. 18.08.08 शा. क. मावि बड़वाह

7	श्रीमती सुनीता खरे सहायक अध्यापक शा. क. हाईस्कूल अलीपुरा जिला-छतरपुर	जनपद पंचायत नौगांव जिला-छतरपुर जा.क्र. 1772,दि. 11.08.08	जनपद पंचायत टीकमगढ़ जिला-टीकमगढ़ जा.क्र. 2236,दि. 25.08.08 शा. प्रावि बम्हौरी शा. प्रावि घाटखिरिया
8	श्रीमती सुनीता मालवीय सहायक अध्यापक शा. मावि सिन्दनी जिला-देवास	जनपद पंचायत टोंकखुर्द जिला-देवास जा.क्र. 1841,दि. 27.08.08	जनपद पंचायत सुसनेर जिला-शाजापुर जा.क्र. 1192,दि. 29.08.08 शा. प्रावि इतवारिया सुसनेर शा. क.मावि सुसनेर

संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
4. तालिका के कालम-4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।


“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”


उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
4. संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत एवं जनपद पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश ।
9. सहायक आयुक्त/जिला संगठक, आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश ।
- की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
11. संबंधित उपर्युक्त तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।


16/9/08
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
९

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./एडी/अजिनि संवि./58/2008/ 172

भोपाल, दिनांक 17/9/08


:: आदेश ::

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका के कालम-3 तथा तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती प्रभा द्विवेदी सहायक अध्यापक शा. उमावि नकेला जिला-सतना	जनपद पंचायत मझगवां जिला-सतना जा.क्र. 38,दि. 06.09.08	जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज जिला-रायसेन जा. क्र. क्यू1, दि. 04.09.08 शा. मावि रतनपुर टोला शा. प्रावि नयापुरा शा. प्रावि तरावली
2	श्रीमती भावना सिंह अध्यापक शा. हाईस्कूल भाटखेड़ा खिलचीपुर जिला-राजगढ़	जनपद पंचायत खिलचीपुर जिला-राजगढ़ जा.क्र. 1434,दि. 24.05.08	जिला पंचायत सीहोर जिला-सीहोर जा. क्र. 5980, दि. 08.09.08 शा. मावि वीरपुरडेम शा. मावि उलझावन

संविलियन की शर्तें -


1. यह अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका के कालम-4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।



17/9/08

6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यक्षीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"



17/9/08

उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 17/9/08

पृष्ठा क्र०/शि.क./एडी/अजिनि संवि./58/2008/ 173
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
 2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
 3. कलेक्टर, जिला-सतना/राजगढ़/रायसेन एवं सीहोर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
 4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, सतना/राजगढ़/रायसेन एवं सीहोर मध्यप्रदेश ।
 5. जिला शिक्षा अधिकारी, सतना/राजगढ़/रायसेन एवं सीहोर मध्यप्रदेश ।
 6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मझगवा, जिला-सतना मध्यप्रदेश ।
 7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खिलचीपुर जिला-राजगढ़ मध्यप्रदेश ।
 8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज जिला-रायसेन मध्यप्रदेश ।
- की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।


17/9/08

उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./एडी/अजिनि संवि./48/2008/

भोपाल, दिनांक 10/9/08


:: आदेश ::

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका के कालम-3 तथा तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम
1	2	3	4
1	श्री प्रभूनारायण शुक्ल (विकलांग) सहायक अध्यापक शा. पूर्व मावि द्वारी जिला-रीवा	जनपद पंचायत रीवा जिला-रीवा जा.क्र. 450, दि. 25.08.08	जनपद पंचायत मझगंवा जिला-सतना जा.क्र. निरंक, दि.23.08.08 शा. पूर्व मावि गोरसरी

संविलियन की शर्त -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका के कालम-4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।





9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विवादास्पद जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यापक की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

पृष्ठा क्र०/शि.क./एडी/अजिनि संवि./48/2008/140
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. कलेक्टर, जिला-रीवा एवं सतना मध्यप्रदेश ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, रीवा एवं सतना मध्यप्रदेश ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, रीवा एवं सतना मध्यप्रदेश ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, रीवा जिला-रीवा मध्यप्रदेश ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मझगवां जिला-सतना मध्यप्रदेश ।
- की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. श्री प्रभूनारायण शुक्ल (विकलांग), सहायक अध्यापक, शा. पूर्व मावि द्वारी, जिला-रीवा की ओर सूचनार्थ ।

उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक

10/9/08

उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./शि.क./एडी/अध्या.संवि/41/2008/129

भोपाल, दिनांक 8/9/08

:: संशोधन ::

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के आदेश क्र./शि.क./एडी/अध्या. संवि/41/2008/94-95, दिनांक 04.09.2008 के द्वारा अन्तर्जिला संविलियन की अनुमति जारी की गई थी। उल्लेखित आदेश के स.क्र. 08 पर अंकित श्रीमती नीलम शाक्य, अध्यापक, शा. हाईस्कूल बोलासा, जिला-झाबुआ को आदेश की तालिका के कालम-4 में जिला पंचायत रतलाम, जिला-रतलाम के अन्तर्गत संस्था का नाम शा. बा.उमावि सरवन त्रुटिवश टंकण से छूट गया है। अतः एतद् द्वारा संचालनालय के उल्लेखित आदेश की तालिका के कालम-4 में छूट गई संस्था का नाम शा. बा.उमावि सरवन पढ़ा जावे।

शेष आदेश यथावत् रहेगा।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"



उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा क्र./शि.क./एडी/अध्या.संवि/41/2008/130
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 8/9/08

1. कलेक्टर, जिला-झाबुआ एवं रतलाम मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, झाबुआ एवं रतलाम मध्यप्रदेश।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, झाबुआ एवं रतलाम मध्यप्रदेश।
4. संबंधित - श्रीमती नीलम शाक्य, अध्यापक, शा. हाईस्कूल बोलासा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।


उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रं/शि.क./संवि./डी/178/2008/1266

भोपाल,दिनांक - 16/09/08


// संशोधन //

संचालनालय के आदेश क्रमांक/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./178/2008/1155 भोपाल दिनांक - 18.08.08 के सरल क्रमांक - 02 पर श्रीमती जानकी श्रीवास्तव, अध्यापक, शास.मा.वि. आरोली मुरार जिला ग्वालियर को आदेश के कॉलम तीन में अंकित शाला शा.क.मा.वि. सतनबाड़ा में संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी ।

उक्त आदेश में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र एवं जनपद पंचायत शिवपुरी जिला शिवपुरी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक 2009 दिनांक 12.09.08 के आधार पर आंशिक संशोधन करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शाला शास.मा.वि. रायश्री जिला शिवपुरी में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है।

आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी ।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित


16/9/08
उप संचालक

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

भोपाल,दिनांक - 16/09/08

पृष्ठा. क्रं/अध्या.संवर्ग/संवि./डी/178/2008/1268
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, जिला ग्वालियर/शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ग्वालियर/शिवपुरी मध्यप्रदेश।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, ग्वालियर/शिवपुरी मध्यप्रदेश ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मुरार जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शिवपुरी जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
6. श्रीमती जानकी श्रीवास्तव, अध्यापक, शास.मा.वि. आरोली मुरार जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।


16/9/08
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./शि.क./एडी/अजिनि संवि./64/2008/155


भोपाल, दिनांक 12.09.08

:: संशोधन ::

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के आदेश क्र./शि.क./ए+डी/अजिनि संवि./15/2008/63-64, दिनांक 22.08.2008 के द्वारा अन्तर्जिला संविलियन की अनुमति जारी की गई थी। उल्लेखित आदेश के स.क्र. 02 पर अंकित श्रीमती गीता शर्मा, सहायक अध्यापक, शा. क. प्रावि विजयपुर, जिला-श्योपुर को आदेश के कालम-4 के अनुसार जनपद पंचायत घाटीगांव (बरई) जिला-ग्वालियर के अन्तर्गत शा. प्रावि नयागांव, शा. बा. प्रावि पनिहार एवं शा. क. प्रावि पनिहार में संविलियन की अनुमति जारी की गई थी। जनपद पंचायत घाटीगांव (बरई), जिला-ग्वालियर के पत्र क्रमांक 2150, दिनांक 10.09.08 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त संस्था में पद रिक्त नहीं है।

3/ उक्त के प्रकाश में एतद् द्वारा जनपद पंचायत घाटीगांव (बरई), जिला-ग्वालियर के पत्र क्रमांक 2150, दिनांक 10.09.08 के आधार पर शा. प्रावि नयागांव, शा. बा. प्रावि पनिहार एवं शा. क. प्रावि पनिहार के स्थान पर शा. क. प्रावि सुसैरा, शा. प्रावि वृम्हा का पुरा एवं शा. प्रावि गोपालपुरा पढ़ा जाये।

शेष आदेश यथावत् रहेगा।


उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्र./शि.क./एडी/अजिनि संवि./64/2008/156

भोपाल, दिनांक 12.09.08

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला-श्योपुर एवं ग्वालियर मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, श्योपुर एवं ग्वालियर मध्यप्रदेश।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, श्योपुर एवं ग्वालियर मध्यप्रदेश।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत, विजयपुर जिला-श्योपुर मध्यप्रदेश।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घाटीगांव (बरई), जिला-ग्वालियर मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

6. संबंधित - श्रीमती गीता शर्मा, सहायक अध्यापक, शा. क. प्रावि विजयपुर, जिला-श्योपुर की ओर सूचनार्थ।


उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश